<u>दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली</u>

(औद्योगिक संबंध समूह)

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02140/2014 **18 जून, 2018**

परिपत्र संख्या औ.सं./11/2018

विषय: एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना- 2018

एसटीसी के मुख्य प्रबंधक स्तर तक के कुछ पात्र कर्मचारियों के लिए एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 18.06.2018 से प्रभावी होगी और 17.07.2018 को कार्यसमय की समाप्ति तक (दोनों दिनों को मिलाकर) खुली रहेगी।

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पात्र कर्मचारियों को अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में उचित माध्यम से भेजना होगा। मुख्यालय/शाखा कार्यालयों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 17.07.2018 को कार्यसमय की समाप्ति तक होगी। यदि एक साथ दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. अनुलग्नक-1 में दिये गए के अनुसार विधिवत भरे हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र, नामित नोडल अधिकारी के पास दो प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएँगे:

क) <u>मुख्यालय में</u>

श्री आनंद प्रकाश, संयुक्त महाप्रबंधक – कार्मिक प्रभाग

(उनकी अनुपस्थिति में श्री केएच॰ ज्ञानेन एंगोम, मुख्य प्रबंधक, कार्मिक प्रभाग, नोडल अधिकारी के रूप में आवेदन स्वीकार करेंगे। यदि उपर्युक्त दोनों अधिकारी उपस्थित न हों तो, आवेदन महाप्रबंधक (कार्मिक) को प्रस्तुत किए जाएँगे।

ख) <u>शाखाओं में</u>

शाखा प्रबंधक अथवा उनके द्वारा नामित प्रबंधक आवेदन प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

मुख्यालय और शाखा कार्यालयों दोनों में, आवेदन की पावती (संबंधित कर्मचारी द्वारा रखने हेतु), छायाप्रति पर ली जाएगी, जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि और समय (एकदम मिनट तक) दर्शाया जाएगा। शाखाओं के कर्मचारियों के आवेदनों के मामले में, आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति अधिक-से-अधिक अगले दिन तक महाप्रबंधक(कार्मिक) को tkerketta@stclimited.co.in पर ईमेल से या फैक्स/डाक द्वारा भेजी जाएगी। शाखाओं द्वारा आवेदन पत्रों की मूल प्रतियाँ साप्ताहिक आधार पर महाप्रबंधक (कार्मिक) को भेजी जाएँगी।

4. **पात्रता:**

एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, गैर व्यावसायिक श्रेणी के एसटीसी के मुख्य प्रबंधक स्तर तक के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी, जिन्होंने कार्पोरेशन में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जिसमें स्टॉफ कार्डर के सभी कर्मचारी भी शामिल होंगे। व्यावसायिक योग्यता जैसे - एलएलबी (नियमित), सीए, आईसीडब्ल्यूए, इंजीनियरिंग स्नातक तथा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए/स्नातकोत्तर या संगत क्षेत्र में समकक्ष योग्यता रखने वाले कर्मचारी इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पात्र नहीं होंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होने वाली रिक्तियों के स्थान पर कोई भर्ती/पदोन्नति नहीं की जाएगी।

5. **वीआरएस प्रतिपूर्ति और अन्य सेवांत हितलाभ:**

जिस कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार किया जाता है, वह निम्नलिखित हितलाभों के लिए पात्र होगा:

i. (i) सेवानिवृत्ति के समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष अथवा उसके अंश पर 60 दिनों की परिलब्धियों (मूल वेतन+महँगाई भत्ता) अथवा (ii) सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पूर्व बाकी सेवा के शेष महीनों से गुणा की गई परिलब्धियों (मूल वेतन+महँगाई भत्ता), जो भी कम हो, के समतुल्य अनुग्रह राशि। सेवा के पूर्ण वर्ष के अंश हेतु अनुग्रह राशि का भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

ii. लागू सेवा शर्तों के अनुसार 3 महीने के नोटिस वेतन की अनुमति होगी। तथापि, यह इस शर्त के तहत होगा कि यह प्रतिपूर्ति की कुल राशि और 3 महीने का नोटिस वेतन कर्मचारी की अधिवर्षिता तक उसकी शेष सेवा अवधि के वेतन से अधिक न हो।

iii. वीआरएस के तहत प्रतिपूर्ति सेवांत हितलाभों जैसे सीपीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी और कार्पोरेशन के नियमों के अनुसार छुट्टियों के नकदीकरण के अतिरिक्त होगी।

iv. कर्मचारी के कार्यमुक्त होने की तारीख तक आनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश के समतुल्य नकद राशि।

v. कार्पोरेशन के यात्रा भत्ता नियमों के तहत स्वयं और परिवार के लिए गृहनगर या उस स्थान पर जाने जहाँ वह भारत में रहने का इच्छुक है, उसकी पात्रता के अनुसार यात्रा व्यय।

vi. एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना के तहत यथानिर्धारित, समय-समय पर यथा संशोधित चिकित्सा हितलाभ, बशर्ते कर्मचारी किसी अन्य स्रोत से ये हितलाभ नहीं ले रहा हो।

vii. वीआरएस लेने वाला कर्मचारी, एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन नियमावली के खंड 10(ख) के तहत पेंशन का हकदार होगा।

viii. अवकाश-गृहों की उपलब्धता (यदि कंपनी द्वारा कोई रखा गया हो), बशर्ते सेवारत कर्मचारियों द्वारा कोई मांग न की गई हो।

ix. समय-समय पर यथासंशोधित एसटीसी आवासीय अपार्टमेंट नियमों के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाले आवास को रखना और आवास को खाली करने तक 2 लाख रुपए की टोकन राशि रख ली जाएगी।

6. **कार्यमुक्ति**

i. पहले चरण में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अधिकतम 80 कर्मचारियों (स्टॉफ एवं मुख्य प्रबंधक स्तर तक प्रबंधक) को कवर करेगी और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति निधियों की उपलब्धता की शर्त पर होगी।

ii. पहले चरण में कवर न किए गए वीआरएस आवेदकों (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) की एक अलग सूची तैयार की जाएगी, जो निधियों की उपलब्धता की शर्त पर दूसरे चरण में ली जाएगी तथा उनकी स्वीकृति और कार्यमुक्ति की सूचना अलग से अधिसूचित की जाएगी।

iii. जो कर्मचारी पहले चरण में इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, वे 31.07.2018 (अपराह्न) से या सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता के मद्देनजर निर्धारित तारीख से कार्पोरेशन के कर्मचारी नहीं रहेंगे।

7. **अन्य शर्तें:**

i. किसी भी स्थिति में अनुग्रह राशि, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 60 दिन के वेतन या शेष सेवा के महीनों के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

ii. वीआरएस के उद्देश्य से वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होंगे तथा कुछ और नहीं।

iii. अनुग्रह राशि की गणना के उद्देश्य से महीना 30 दिन के आधार पर गिना जाएगा।

iv. अन्य पीएसयू में दी गई पिछली सेवा, इस योजना के तहत अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए गिनी जाएगी, बशर्ते एसटीसी में नियुक्ति उचित माध्यम से हुई हो और सेवा की निरंतरता की पुष्टि हुई हो तथा ईपीएफ, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश, एसटीसी को हस्तांतरित किये गये हों।

v. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को ऊपर उल्लिखित के अलावा कोई अन्य हितलाभ नहीं दिये जाएँगे।

vi. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बाबत भुगतान, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर कटौतियों, यदि कोई हों, के अधीन होगा।

vii. जब कोई कर्मचारी एसटीसी से एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो उसे किसी अन्य पीएसयू/सरकारी विभाग में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह ऐसा करता है तो उसे एसटीसी से प्राप्त अनुग्रह राशि लौटानी होगी। यदि एसटीसी बंद हो जाती है/उसका विलय हो जाता है तो अनुग्रह राशि सीधे ही भारत सरकार को लौटायी जाएगी।

viii. वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को अपने पास सुपुर्द फाइलों की सूची विधिवत पृष्ठ संख्या डालकर तैयार करनी होगी और कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की एक सूची तैयार करनी होगी तथा प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा पदनामित प्रबंधक को उन्हें प्रभार सौंपना होगा। आगे, वह कार्यालयी उपयोग के लिए उसे जारी की गई सभी वस्तुएँ संबंधित विभाग को लौटाएगा तथा संबंधित प्रभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही उसकी देय राशि जारी की जाएगी।

ix. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध की स्वीकृति इस शर्त पर होगी कि कार्यमुक्ति की तारीख को सभी बकाया देय, भुगतान-योग्य अनुग्रह राशि तथा छुट्टी नगदीकरण में समायोजित किये जा सकते हैं। यदि बकाया राशि, भुगतान-योग्य अनुग्रह राशि तथा छुट्टी नगदीकरण से अधिक है तो भुगतान-योग्य राशि में से समायोजन के बाद शेष राशि कर्मचारी द्वारा उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध की स्वीकृति से पूर्व एसटीसी को भुगतान की जाएगी।

x. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध की स्वीकृति सतर्कता अनापत्ति की शर्त पर होगी।

8. इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति हेतु कार्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सक्षम प्राधिकारी होंगे।

9. सक्षम प्राधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु किसी कर्मचारी के आवेदन को संगठनात्मक आवश्यकता के मद्देनजर या किसी प्रशासनिक कारण से स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं और उनका निर्णय अंतिम होगा। कोई सेवानिवृत्ति योजना तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय लिखित रूप में सूचित न किया गया हो।

10. कार्पोरेशन, योजना के निष्पादन के दौरान किसी भी समय इसे वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

(टी॰ केरकेट्टा)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

प्रतिलिपि:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष/सभी शाखा प्रबंधक
- संयुक्त महाप्रबंधक(लेखा एवं स्थापना)
- सैक्रेटरी जनरल, एसटीसी कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- सैक्रेटरी जनरल, एसटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन का परिसंघ, नई दिल्ली
- सैक्रेटरी जनरल,एसटीसी अखिल भारतीय अनु.जाति/जनजाति कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

अनुलग्नक-। (नोडल अधिकारी के पास दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2018 हेतु आवेदन

महाप्रबंधक (कार्मिक),
एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

(उचित माध्यम से)

महोदय,

परिपत्र संख्या औ.सं./ /2018 दिनांक ------------------, 2018 के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2018 के तहत सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरी आयु और सेवा के विवरण नीचे दिए गए हैं:

1.	एसटीसी में नियुक्ति की तारीख	
2.	एसटीसी में सेवा के पूर्ण वर्ष (योजना की अंतिम तिथि पर)	
3.	वर्तमान पद	
4.	जन्मतिथि	
5.	वर्तमान आयु	
6.	अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख	
7.	योजना की अंतिम तिथि को वेतन: I. मूल वेतन (₹) II. महंगाई भत्ता (₹) III. कुल योग	

2) मैं एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने और मुझे लिखित रूप में सूचित किये जाने के पश्चात् मैं अपना आवेदन वापिस नहीं लूँगा/लूँगी।

3) मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए और इसकी स्वीकृति पर मेरे देयों का योजना के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निपटान कर दिया जाए।

4) मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं किसी पीएसयू में कार्यग्रहण नहीं करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा ऐसा करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2018 के प्रावधान मुझ पर लागू होंगे।

5) मैं एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2018 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को बिना किसी शर्त तथा अपरिवर्तनीय रूप में स्वीकार करता/करती हूँ।

भवदीय,

( )
आवेदक का नाम --------------
पदनाम --------------------
प्रभाग/शाखा---------------
कर्मचारी सं.--------------
फोन नं. (यदि कोई हो)---------

क्रम सं. : ____________________
प्राप्त करने की तारीख : ____________
समय(घंटे:मिनट) : ______________
नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर : __________
नाम और पदनाम : ________________

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

****

STC/CO/PER/IR/02140/2014 June 18th, 2018

CIRCULAR NO: IR/11/2018

SUBJECT: STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME-2018

It has been decided to introduce the STC Voluntary Retirement Scheme for certain eligible employees of STC up to the level of Chief Manager. The Scheme will come into effect from 18.06.2018 and shall remain open up to the closing hours of 17.07.2018 (both days inclusive).

2. The eligible employees seeking Voluntary Retirement will be required to send their applications in the prescribed format (Annexure-I) through proper channel. The last date of receipt of applications at the Corporate Office/Branches will be the closing office hours of 17.07.2018. In case of two or more applications being received at the same time, the priority will be accorded to the applicant having reached higher age.

3. The Voluntary Retirement application form as at Annexure-I duly filled in will be submitted in duplicate to the designated Nodal Officer:

a) At Corporate Office:
Shri Anand Prakash, JGM – Personnel Division.
(In his absence, Shri KH.Gyanen Angom, CM - Personnel Division will act as Nodal Officer to receive the applications. In case both the above officials are not present, the applications will be submitted to GM (Personnel).

b) At Branches:
Branch Manager or a Manager nominated by him will act as Nodal Officer to receive the applications.

(Contd. on P...2...)

In both Corporate Office and Branches, the acknowledgement of the application will be taken on the duplicate copy (to be retained by the concerned employee) indicating date and time (upto exact minute) of receipt to be recorded by the Nodal Officer. In case of applications from employees of Branches, scanned copy of the same shall be sent latest by next day by email to General Manager (Personnel) at tkerketta@stclimited.co.in or by Fax/Post. The original application forms will be sent by the Branches on a weekly basis to the General Manager (Personnel).

4. **Eligibility:**

The STC Voluntary Retirement Scheme will be applicable to all the regular employees in STC up to the level of Chief Manager under non-professional category including all employees in Staff Cadre who have completed minimum of 20 years of service in the Corporation. The employees possessing professional qualifications like LL.B(Regular), CA, ICWA, Engineering Graduates and MBA/Post Graduation in Business Administration or equivalent in relevant field, shall not be eligible to seek Voluntary Retirement under the Scheme. There will be no recruitment/promotion against vacancies arising out of Voluntary Retirement Scheme.

5. **VRS Compensation and other Terminal Benefits:**

An employee, whose application for Voluntary Retirement is accepted, shall be entitled to the following benefits:

i. Ex-gratia equivalent to (i) 60 days emoluments (Basic Pay + Dearness Allowance) for each completed year of service or part thereof at the time of retirement or (ii) emoluments (Basic Pay + Dearness Allowance) multiplied by the balance months of service left before the normal date of retirement, whichever is less. Ex-gratia for the part of completed year of service will be paid on pro-rata basis.

ii. Three months' notice pay as per applicable service conditions will be allowed. This will, however, be subject to the condition that the total amount of compensation and three months' notice pay shall not exceed pay for the balance period of employees' service till his superannuation.

(Contd. on P...3...)

iii. The compensation under VRS will be in addition to the terminal benefits viz., CPF, Gratuity as per Payment of Gratuity Act, and Encashment of Leave as per rules of the Corporation.

iv. Cash equivalent to Casual Leave on pro-rata basis up to the date of relieving of the employee.

v. Travel expenses for self and family for proceeding to home town or to the place where he/she intends to settle in India as per his/her entitlement under the TA rules of the Corporation.

vi. Medical benefits as stipulated under the STC (Retired Employees') Medical Benefit Scheme as amended from time to time provided the employee does not avail of similar benefits from any other source.

vii. An employee opting for VRS will be entitled to Pension under Clause 10(b) of STC Employees' Defined Contribution Superannuation Pension Rules.

viii. Availability of Holiday Homes, (If any, maintained by the Company) subject to there being no demand from serving employees.

ix. Retention of company owned residential accommodation will be as per STC Residential Apartment Rules **as amended from** time to time and a token amount of Rs. 2 Lakhs (Two Lakhs) will be retained till vacation of accommodation.

6. **Relieving:**

i. The Voluntary Retirement scheme in the first phase will cover maximum 80 employees (Staff & Managers up to the level of Chief Manager) on first come first serve basis and the acceptance of their Voluntary Retirement will be subject to availability of funds.

ii. A separate list will be prepared comprising of those VRS applicants (on first come first serve basis) not covered in the first phase, which will be processed in the second phase, subject to availability of funds and schedule of their acceptance and relieving will be notified separately.

(Contd. on P...4...)

iii. The employees who seek Voluntary Retirement under this Scheme in the first phase will cease to be on the rolls of the Corporation with effect from 31.07.2018 (afternoon) or from the date as decided by the Competent Authority, keeping in view the exigency of work.

7. Other conditions:

i. In no case shall the ex-gratia exceed sixty days salary for each completed year of service or the salary for the number of months of service left, whichever is less.

ii. Salary for the purpose of VRS shall consist of Basic Pay and Dearness Allowance only and no other element.

iii. For the purpose of calculation of ex-gratia, month will be calculated on the basis of 30 days.

iv. Past service rendered in other PSUs would be counted for payment of ex-gratia under this Scheme provided that the appointment in STC was through proper channel and continuity of service is established and EPF, Gratuity, EL/HPL have been transferred to STC.

v. No other benefits except those mentioned above will be admissible to those who seek voluntary retirement.

vi. The payment on account of Voluntary Retirement shall be subject to Income Tax deductions, if any, as per provisions of the Income Tax Act.

vii. Once an employee avails of voluntary retirement from STC, he/she shall not be allowed to take up employment in any another PSU/Government Department. If he/she desires to do so, he/she shall have to return the ex-gratia payment received by him/her to STC. In case STC is closed/merged, the ex-gratia payment shall be directly returned to the Government of India.

viii. The VRS optees shall be required to prepare a list of files lying in his/her custody duly page numbered and also list of pending matters requiring action and hand over charge to the manager as designated by the Divisional Head/Branch Manager. Further, he will return all items issued to him for official use to the concerned department and obtain NOC from the Division concerned. Thereafter, his/her dues will be released to him/her.

(Contd. on P...5...)

ix. The acceptance of Voluntary Retirement request shall be subject to the condition that all outstanding dues as on the date of relieving can be adjusted from the ex-gratia and leave encashment payable. In case, the outstanding amount exceeds the payable amount of ex-gratia and leave encashment, for the difference over and above the amount after adjusting the payable, the employee shall have to pay the same to STC, before acceptance of his/her Voluntary Retirement request.

x. The acceptance of Voluntary Retirement request shall be subject to Vigilance clearance.

8. The Competent Authority for acceptance of Voluntary Retirement under this Scheme shall be the Chairman & Managing Director of the Corporation.

9. The Competent Authority may accept or reject the application of an employee for Voluntary Retirement, keeping in view the organizational requirement or any administrative reason and the decision of the Competent Authority shall be final. No Voluntary Retirement shall be deemed to have come into effect unless the decision of the Competent Authority has been communicated in writing.

10. The Corporation reserves the right to withdraw the Scheme at any time during the course of operation and its decision in this respect will be final.

(T. Kerketta)
General Manager (Personnel)

Copy to:-

-Exe. Secy. to CMD
-Exe. Secys.to all Directors/CVO
-All CGMs
-All Divisional Heads/All BMs
-JGM(A&E)
-SG, Fed. of STCEUs, New Delhi
-SG, Fed of STCOAs, New Delhi
-SG, All India Fed. of STC SC/ST Emp. Association, New Delhi
-Notice Board
-STC Website

ANNEXURE – I (to be submitted in duplicate to Nodal Officer)

APPLICATION FOR VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME – 2018

The General Manager (Pers),
STC of India Ltd.,
Jawahar Vyapar Bhawan,
Tolstoy Marg,
New Delhi – 110001

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Sir,

With reference to the Circular No. IR/ /2018 dated _____________, 2018, I hereby apply for retirement under the STC Voluntary Retirement Scheme – 2018. My age and service particulars are as given below:

1	DATE OF APPOINTMENT IN STC	
2.	COMPLETED YEARS OF SERVICE IN STC(as on last date of the Scheme)	
3.	PRESENT POST HELD	
4.	DATE OF BIRTH	
5.	PRESENT AGE	
6.	DATE OF RETIREMENT ON ATTAINING THE AGE OF SUPERANNUATION	
7.	SALARY AS ON LAST DATE OF THE SCHEME: I. BASIC PAY (Rs.) II. DA (Rs.) III. TOTAL	

2) I hereby undertake that I shall not withdraw my application after the same has been accepted by the Competent Authority and communicated to me in writing.
3) I request that my application for Voluntary Retirement may be considered favourably and on acceptance of the same, my dues may be settled at the earliest as per the Scheme.
4) I do hereby declare that I shall not join any PSU after Voluntary Retirement. In case I do so, the provisions of Voluntary Retirement Scheme 2018 shall be applicable to me.
5) I accept the terms and conditions stipulated in the STC Voluntary Retirement Scheme – 2018 unconditionally and irrevocably.

Yours Faithfully,

( )

NAME OF APPLICANT:________________

DESIGNATION:________________

DIVISION/BRANCH:________________

EMPLOYEE NO:________________

PHONE NO. (If any):________________

S. No : ________________

Date of receipt : ________________

Time (HH:MM) : ________________

Signature Name and Designation

of Nodal Officer:________________